राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 21/2019

बसन्ती देवी पुत्री बीरमा पत्नी मदनलाल उम्र 45 वर्ष जाति मेघवाल निवासी चूली की ढाणी तन् बड़ाऊ तहसील खेतड़ी हाल आवाद कुलोद कलां तहसील व जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रार्थीया

ब–ना–म

1. शेर सिंह उर्फ शेरू पुत्र सुलतान
2. बजरंग पुत्र सुलतान
3. ईश्वर सिंह पुत्र लीलू नवीरा सुलतान
4. बिमला देवीपत्नी लीलू पुत्रवधु सुलतान
5. चुकी पुत्री लीलू पोत्री सुलतान
6. बबीता पुत्री लीलू पोत्री सुलतान
7. कानाराम पुत्र सरदारा
8. जगदीश प्रसाद पुत्र सरदारा
9. विनोद कुमार पुत्र सरदारा
   समस्त निवासी चूली की ढाणी तन् बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. नाथी पुत्री बीरमा पत्नी बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी चूली की ढाणी तन् बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद कुलोद कलां तहसील व जिला झुन्झुनूं, राज0
11. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक जरिए शाखा प्रबंधक शाखा नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
12. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक जरिए शाखा प्रबंधक शाखा बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
13. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिए शाखा प्रबंधक, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
14. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.........अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र [illegible]

:: निर्णय ::

दिनांक [illegible]–2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय [illegible] पेश किया गया है कि [illegible]या एवं अप्रार्थी सं. 1 लगा. 10 स्व. लादूराम के वंशज है। स्व. लादूराम के तीन पुत्र संतान हुई तथा स्व. लादूराम ने अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पति का बाहमी बंटवारा अपने तीनों पुत्रों में बराबर–बराबर कर कब्जा सम्भला दिया था तथा तीनों पुत्र अपने पिता के

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

जीवनकाल से ही अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करने लग गये थे तथा सभी अपने–अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के आबाद थे। स्व. बीरमा पुत्र लादूराम के दो पुत्री संतान प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 10 हुई तथा स्व. बीरमा पुत्र लादूराम की मृत्यु के बाद स्व. बीरमा की भूमि पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया सं. 10 काबिज काश्त है। ग्राम शिवनगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076–79 के खाता सं. 57 के ख.नं. 215 रकबा 0.26 है., ख.नं. 222 रकबा 0.62 है., ख.नं. 418 रकबा 3.72 है. कुल किता 3 कुल रकबा 4.60 है. में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया सं. 10 के पिता स्व. बीरमा पुत्र लादूराम का 1/3 हिस्सा था जो जमाबन्दी संवत् 2049 से 2053 से साबित है। यह भूमि पहले श्रीकृष्ण नगर में थी, अब शिवनगर अलग राजस्व ग्राम निर्मित होने से अब यह भूमि ग्राम शिवनगर में स्थित है। इसी प्रकार ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता सं. 267 के ख.नं. 779 रकबा 6.06 है., ख.नं. 784 रकबा 1.14 है. कुल किता 2 कुल रकबा 7.20 है. भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया सं. 10 के पिता स्व. बीरमा पुत्र लादूराम का 1/3 हिस्सा था जिसका अंकन जमाबन्दी संवत् 2049–2053 से पूर्ण है। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं. 1 के पिता की थी जो उन्हें उत्तराधिकार में मिली है। स्व. बीरमा की मृत्यु सन् 1989 में होने पर शेर सिंह उर्फ शेरू पुत्र सुलतान ने राजस्व कर्मचारियों से साजिश कर बाला–बाला प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया सं. 1 का विरासतन नामांतरकरण दर्ज करवाने की बजाय अपने आप को स्व. बीरमा का जायन्दा पुत्र बताकर विरासतन नामांतरकरण अपने नाम से दर्ज करवा लिया जबकि स्व. बीरमा पुत्र लादूराम के कोई पुत्र संतान नहीं थी तथा उक्त भूमि स्व. बीरमा पुत्र लादूराम की पैतृक भूमि थी जिसमें प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया सं. 10 के नाम विरासतन नामांतरकरण दर्ज होना चाहिए था। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया सं. 10 अपने पिता से विरासत में प्राप्त भूमि पर शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के सभी की स्वतंत्र जानकारी में काबिज काश्त है तथा अपने हिस्से की भूमि का बहैसियत मालिक उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। परन्तु सन् 2003 में प्रार्थीया को अप्रार्थी सं. 1 ने ऐलानिया धमकी दी की स्व. बीरमा की भूमि का विरासतन नामांतरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया है तथा वह उक्त भूमि को बैंक के रहन भी रख दी है। इस पर प्रार्थीया ने एक दावा न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष पेश किया जो प्रार्थीया को अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त होने तथा अपने वकील के सम्पर्क में नहीं होने से अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज हो गया था जिसकी जानकारी प्रार्थीया को पुनः गत माह अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जबरन उसकी पैतृक भूमि से बेदखल करने एवं भूमि की काश्त नहीं करने की धमकी देने पर हुई तो प्रार्थीया ने उक्त बातें अपने पति को बताई जिस पर रिकार्ड की नकल लेने पर पता चला कि आज भी स्व. बीरमा पुत्र लादूराम की भूमि में शेरसिंह उर्फ शेरू का नाम ही दर्ज चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। यदि अप्रार्थी सं. 1 उक्त गलत रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया सं. 10 को जबरन लठ के बल पर बेदखल कर देता है या उक्त गलत रिकार्ड के आधार पर उक्त भूमि को किसी अन्य दिगर व्यक्ति को बेचान कर खुर्द–बुर्द कर देता है तो प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया सं. 10 को भारी तकलफी होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त गलत रिकार्ड के आधार पर वाद वर्णित भूमि को किसी अन्य को रहन, बेचान, दान कर खुर्द–बुर्द नहीं करें तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखलंदाजी ना करें तथा अप्रार्थी सं. 14 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

फरमाया जावे कि वह अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पेश किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें। ऐसा कृत्य ना वह स्वयं करें ना ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करवाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 को जवाब प्रार्थना पत्र हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना प्रस्तुत नहीं करने पर अप्रार्थी सं. 1 का जवाव अवसर बन्द किया गया।

शेष अप्रार्थीगण सं. 2 से 15 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2076–79 के खाता सं. 57 के ख.नं. 215 रकबा 0.26 है., ख.नं. 222 रकबा 0.62 है., ख.नं. 418 रकबा 3.72 है. कुल किता 3 कुल रकबा 4.60 है. में शेरसिंह पुत्र बिरमा हिस्सा 1/3 दर्ज है जबकि उक्त भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया सं. 10 के पिता स्व. बीरमा पुत्र लादूराम का 1/3 हिस्सा था जो जमाबन्दी संवत् 2049 से 2053 से साबित है। यह भूमि पहले श्रीकृष्ण नगर में थी, अब शिवनगर अलग राजस्व ग्राम निर्मित होने से अब यह भूमि ग्राम शिवनगर में स्थित है। इसी प्रकार ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता सं. 267 के ख.नं. 779 रकबा 6.06 है., ख.नं. 784 रकबा 1.14 है. कुल किता 2 कुल रकबा 7.20 है. में शेरसिंह पुत्र बिरमा हिस्सा 1/3 दर्ज जबकि उक्त भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया सं. 10 के पिता स्व. बीरमा पुत्र लादूराम का 1/3 हिस्सा था जो जमाबन्दी संवत् 2049–2053 से साबित है। उक्त दोनों राजस्व ग्रामों की भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 लगा. 10 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र के खण्ड सं. 2 में वर्णित स्व. लादूराम की वंशावली के अवलोकन से साबित होता है कि स्व. लादूराम के तीन पुत्र संतान क्रमशः सुलतान, बीमा, सरदारा हुए जिनमें बीरमा पुत्र स्व. लादूराम के प्रार्थीया बसन्ती व अप्रार्थीया सं. 10 नाथी हुए। बीरमा के फौत होने पर उनका विरासतन नामांतरकरण स्व. बीरमा की जायन्दा संतान प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं. 10 के नाम दर्ज नहीं किया गया बल्कि शेरसिंह पुत्र बिरमा कौम मेघवंशी सा.देह खातेदार हिस्सा 1/3 दर्ज कर दिया जो पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकण संख्या 267 से साबित है। उक्त वादग्रस्त भूमि विधिवत् अविभाजित होने के कारण पक्षकारान के कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थी सं. 1 को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना उचित होगा।

अतः इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम बड़ाऊ स्थित भूमि खाता सं. 267 खसरा नंबर 779, 784 कुल किता 2 कुल रकबा 7.20 है. व ग्राम शिवनगर स्थित भूमि खाता सं. 57 खसरा नंबर 215, 222, 418 कुल किता 3 कुल रकबा [illegible] है. के मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 08–09–2022 को खुले कार्यालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:07 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी